रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16012021-224477
**CG-MH-E-16012021-224477**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग III—खण्ड 4**
**PART III—Section 4**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

| | |
|---|---|
| **सं. 28]** | **नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942** |
| **No. 28]** | **NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942** |


**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**

**अधिसूचना**

मुंबई, 6 जनवरी, 2021

**सं. टीएएमपी/22/2020-एमबीपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा जेटी 5, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित पल्वमान नौका प्रयोग की दर निर्धारण के लिए मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

**मामला संख्या टीएएमपी/22/2020-एमबीपीटी**

*मुंबई पत्तन न्यास* --- *आवेदक*

**गणपूर्ति**

**(i).** श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

**(ii).** श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

**आदेश**

**(दिसंबर, 2020 के 28वें दिन पारित)**

यह मामला मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के 23 जून, 2020 के पत्र संख्या एफए/एसीसी/200(एफआर)/1352 के साथ जेटी 5, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित पल्वमान नौका प्रयोग की दर निर्धारण के लिए एमबीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने 24 जुलाई 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/5/2019-एमबीपीटी के द्वारा एमबीपीटी के सामान्य दरमान अधिसूचित कराये थे। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निष्पादन मानक सहित संशोधित दरमान 3 सितंबर, 2019 को राजपत्र संख्या 308 में अधिसूचित हुए थे।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, एमबीपीटी 23 जून, 2020 के अपने पत्र के द्वारा जेटी 5, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित पल्वमान नौका प्रयोग की दर के निर्धारण के प्रस्ताव के साथ आया। एमबीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में उठाये गए मुद्दों का सार इस प्रकार है:

(i). गेटवे ऑफ इंडिया स्थित प्लवमान रेस्टोरैंट चलाने के लिए श्रीमती श्रीप्रिया डालमिया थिरानी को एमबीपीटी के 27 जून 2017 के पत्र संख्या टीएएमपी/बीडीसी/एफआर (04/2017-18)/247/2017-18 के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया, जेटी संख्या 5 से सुरक्षित और निरापद आरोहरण और अवरोहण के लिए उप-संरक्षक द्वारा पल्वमान नौका रखे जाने की अनुमति भी दी गई। महत्वपूर्ण शर्तें निम्नवत् है:-

(क). नौका का प्रयोग कॉमन प्रयोक्ता आधार पर किया जायेगा और यह अन्य प्रयोक्ताओं के लिए भी होगा।

(ख). लाइसेंसधारक सुरक्षा कार्मिक और जीवन रक्षकों की तैनाती भी करेगा।

(ग). नौका में सुरक्षा और बचाव उपाय किये जायेंगे जैसे रेलिंग, रक्षा-बोया, प्रकाश/प्रदीपन आदि।

(घ). लाइसेंसधारक प्रयोक्ताओं से नाममात्र का प्रभार वसूल कर सकेगा।

(ङ). लाइसेंसधारक इन नाममात्र प्रभारों का 17% एमबीपीटी से शेयर करेगा।

(ii). नौका को 23.03.2019 से काम पर लगाया गया है और इसका प्रयोग प्लवमान रैस्टोरैंट को और से आने-जाने वाले मेहमानों को पार उतारने का काम कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिससे सुरक्षा और बचाव में वृद्धि होती है और इससे चढ़ने/उतरने में भी सुविधा हो जाती है।

(iii). श्रीमती श्रीप्रिया डालमिया थिरानी ने 16.04.2019 के अपने पत्र के द्वारा यह सूचित किया कि जेटी संख्या 5 के प्रयोक्ताओं से अनेकों अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उन्हें नौका के प्रयोग की अनुमति दी जाए। इस संबंध में, 28.03.2019 को एक बैठक हुई। प्रचालक ने सूचित किया कि अन्य प्रयोक्ताओं को अपने यात्रियों के लिए नौका सुविधा के प्रयोग की अनुमति देने को ध्यान में रखते हुए दरों के निर्धारण का अनुरोध किया गया, एमबीपीटी द्वारा अंतिम रूप से दरों का अनुमोदन किये जाने तक तदर्थ आधार पर ही दरें निर्धारित की जाएं ताकि उन्हें हानि न हो और प्रयोक्ता अपनी नौकाओं तक पहुंचने के लिए सुरक्षित और निरापद नौका का लाभ उठा सकें।

(iv). परिचालक को संभावित प्रयोक्ताओं की सहमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई क्योंकि ऐसा प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने की यह एक अपेक्षा है। तदनुसार, श्रीमती श्रीप्रिया डालमिया थिराने ने 16.04.2019 के पत्र के साथ रॉयल बाम्बे याच क्लब, और विज़न याच सेवाओं के 17.04.2019 और किरन रिसोर्सज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज मैरीन साल्यूशन्ज, श्री राजेश अल्या और मैसर्ज क्रिडेंस लॉजिस्टिक्स के क्रमश: 10.04.2019, 13.04.2019, 02.04.2019 और 06.04.2019 के ई-मेल संलग्न किये जिसमें उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया स्थित जेटी संख्या 5, पर चढ़ने और उतरने के लिए

प्लवमान जेटी (नौका) के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

(v). श्रीमती श्रीप्रिया डालमिया थिराने ने 16.04.2019 के पत्र में निम्नवत् प्रयोक्ता दरों का प्रस्ताव किया है:-

(क). 70/-रु. एक बार/एकल प्रयोग के लिए।

(ख). 9000/-रु. पूरे सीजन का पास (1 अक्तूबर से 1 मई तक )

(ग). 5000/- रु. आधे सीजन का पास (1 अक्तूबर से 15 जनवरी या 16 जनवरी से 1 मई )।

(vi). एमबीपीटी के न्यासी मंडल के समक्ष प्रस्ताव को रखा गया। बोर्ड ने 20.08.2019 की टीआर संख्या 102 के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया । बोर्ड ने निम्नलिखित का अनुमोदन किया।

(क). नौका के कॉमन प्रयोक्ता आधार पर प्रयोजन के लिए निम्नानुसार तदर्थ दरें निर्धारित करें:-

(i). 68/-रु. एक बार/एकल प्रयोग के लिए।

(ii). 9000/-रु. पूरे सीजन का पास (1 अक्तूबर से 15 मई तक )

(iii). 5000/- रु. आधे सीजन का पास (1 अक्तूबर से 15 जनवरी या 16 जनवरी से 1 मई )।

(ख). ऊपर (क) की दरों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(vii). पत्तन के लिए वित्तीय प्रभाव एमबीपीटी को इन प्रभारों के आधार पर लाइसेंसधारक से सकल प्राप्तियों के 17% की दर से प्राप्त राजस्व हिस्से की राशि होगी। लाइसेंसधारक द्वारा प्रत्याशित न्यूनतम वार्षिक राजस्व राशि 85.40 लाख रु. है। एमबीपीटी इसमें से वार्षिक 17% का पात्र है।

(viii) एमबीपीटी द्वारा किया गया 68/-रु. का परिकलन नौका के एक बार प्रयोग की दर है और आरंभिक पूंजी निवेश और वार्षिक आवर्ती व्यय नीचे दिया जाता है:-

(क). <u>परिकलन का आधार:</u>

परिचालक ने प्लवमान नौका डॉक स्थापित करने और उसकी आवर्ती प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत में आरंभिक निवेश के आधार पर दरों का प्रस्ताव किया है।

(ख). <u>आरंभिक पूजीगत निवेश:</u>

(रु. लाख में)

| | | |
|---|---|---|
| (क) | मूरिंग सैट अलमूनियम गैंगवे के साथ मैरीनटेक नौका की लागत (26 x 6मीटर प्लवमान डॉक के लिए) ढुलाई संस्थापन, गैंगवे जमाने और उपरिव्यय सहित | 188.00 |
| (ख) | ढुलाई, संस्थापन और उपरिव्यय सहित सुरक्षा केबिन, स्कैनिंग मशीन, मेटल डिटैक्टर, इलैक्ट्रिकल कनैक्शन, सुरक्षा लाइटें | 23.00 |
| (ग). | जेटी 5 में सुरक्षा और बचाव व्यवस्था, बचाव नौका सहित (जोडियक रिब), एसओएस पेडस्टल, वॉकी-टॉकी और जीवन रक्षक गियर सहित | 18.00 |
| (घ) | कुल (क) + (ख) + (ग) =(घ) | 229.00 |

(ग). वार्षिक आवर्ती लागत

(रु. लाख में)

| | | |
|---|---|---|
| (क) | मानवशक्ति, जेटी पर्यवेक्षक, डॉक हैंडस, चिकित्सा परिचर, सुरक्षा कर्मचारी और लाइफ गार्ड सहित | 35.00 |
| (ख) | बिजली | 4.00 |
| (ग). | प्लवमान जेटी का वार्षिक जुटाव और विघटन (मानसून से पहले और बाद में), जेटी नं.5 में सुरक्षा और बचाव व्यवस्था, बचाव नौका सहित (जोडियक रिब), एसओएस पैडस्टल, वॉकी-टॉकी और जीवन रक्षक गियर सहित। | 5.00 |
| (घ) | मोनसून भंडार | 4.00 |
| (ङ) | विविध | 3.00 |
| (च) | योग (क) + (ख) + (ग) + (घ) +(ङ) =(च) | 51.00 |

(घ). प्रत्याशित न्यूनतम वार्षिक राजस्व

(₹रु. लाख में)

| | | |
|---|---|---|
| (क) | वार्षिक आवर्ती लागत की वसूली | 51.00 |
| (ख) | पूंजीगत निवेश का परिशोधन (15%) | 34.40 |
| (ग) | कुल प्रत्याशित न्यूनतम वार्षिक राजस्व | 85.40 |

(ङ). प्रयोक्ताओं की संख्या

(गिनती में)

| | | |
|---|---|---|
| (क) | परम्परागत प्रयोक्ताओं की दैनिक औसत संख्या, आरबीवाईसी सदस्य, अन्य नौका स्वामी, उनके मेहमान और कर्मचारी | 200 |
| (ख) | रेस्टोरैंट प्रयोक्ताओं की दैनिक औसत संख्या | 400 |
| (ग) | 1 महीने में प्रयोक्ताओं की कुल संख्या | 18000 |
| (घ) | सीज़न में प्रयोक्ताओं की कुल संख्या (7 महीने) | 126000 |

(च). प्रति प्रयोक्ता लागू प्रभार का परिकलन

लागू प्रभार = प्रत्याशित न्यूनतम वार्षिक राजस्व / एक सीजन में प्रयोक्ताओं की कुल संख्या

= 85,40,000/-रु. / 1,26,000 प्रयोक्ता = 68.

**यानी प्रति प्रयोक्ता एक बार एकल प्रयोग के लिए 68.00 रु.**

3.2. तदनुसार, एमबीपीटी ने 01.10.2019 के पत्र संख्या टीएम/बीडीसी/एफआर(04/2017-18)/51/363/2018-19 के द्वारा श्रीमती श्रीप्रिया डालमिया थिरानी को सूचित किया कि प्राधिकरण द्वारा दरों का अनुमोदन प्राप्त होने तक कॉमन प्रयोक्ता आधार पर अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा नौका के प्रयोग के लिए तदर्थ दरें अनुमोदित की जाती हैं।

3.3. उक्त को देखते हुए, एमबीपीटी ने इस प्राधिकरण को गेटवे ऑफ इंडिया स्थित जेटी नं.5 के प्लवमान नौका के प्रयोग के लिए निम्नलिखित प्रभारों और इन्हें मौजूदा अनुमोदित दरमानों में दरमान के भाग 9.8 में अंतर्विष्ट करने को अनुमोदित करने का अनुरोध किया:

**"भाग – 9.8 – जेटी संख्या 5, गेटवे ऑफ इंडिया के प्रयोग के प्लावमान नौका प्रभार/दर**

(i). 68/-रु. एक बार/एकल प्रयोग के लिए।

(ii). 9000/-रु. पूरे सीजन का पास (1 अक्तूबर से 15 मई तक )

(iii). 5000/- रु. आधे सीजन का पास (1 अक्तूबर से 15 जनवरी या 16 जनवरी से 1 मई )।

**विस्तृत शर्तें और अनुबंधन**

(i). नौका प्रयोग कॉमन उपयोग आधार पर होगी और आरबीवाईसी के सदस्यों निजी पांच स्वामियों को इस सुविधा अथवा नौका का उपयोग करने की अनुमति होगी।

(ii). नौका के 24/7 आधार पर प्रयोग की अनुमति दी जाती है बशर्ते सुरक्षा कार्मिक और लाइफ गार्ड दिन-रात तैनात किये जाते हैं।

(iii). प्लवमान जेटी नं.5 से नौका में पहुंचने के लिए और नौका से उन पोत को जो यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए नौका के साथ लग जाता है नौका में गार्ड-रेल और गैंगवे प्रदान किये जायेंगे। नौका पर रक्षा-बोया सरलता से उपलब्ध कराये जाने के रखे जायेंगे और रात को नौका में भली भांति रौशनी होनी चाहिए ताकि यात्रियों को उतरने / चढ़ने में कोई कठिनाई न हो।

(iv). मानसून से पूर्व संस्थापन, प्रचालन, अनुरक्षण और अपनयन मानसून के पश्चात् पुन: संस्थापन से संबंधी सारे व्यय नौका के परिचालक द्वारा वहन किये जायेंगे।

(v). परिचालक, पुलवमान रैस्टोरेंट के प्रतिशत हिस्सा आधार के समान ही, नौका के प्रयोक्ताओं से प्राप्त नामिक शुल्क की उगाही द्वारा अर्जित राजस्व में से 17% हिस्सा देगा।

(vi). नौका को हर समय सागर उपयुक्त स्थिति में रखा जायेगा।

(vii). एमबीपीटी के पास सुरक्षा और बचाव अथवा किसी अन्य कारण से पूर्णत: अथवा किसी भाग में अथवा दुरूपयोग की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त शर्तें अनुबद्ध करने पर अनुपालन में कमी, बदनीयती से कार्य करने और/अथवा समय-समय पर उठे किसी अन्य आधार पर इस अनुमति को अस्वीकृत/परिवर्तित /संशोधित/वापस लेने/विच्छिन्न करने का अधिकार आरक्षित है।"

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार एमबीपीटी के प्रस्ताव की एक प्रति हमारे 23 जुलाई 2020 के पत्र के द्वारा प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों/ प्रत्याशित प्रयोक्ताओं/एमबीपीटी द्वारा दिये गए सुझावानुसार) को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई। 18 अगस्त, 2020 के अनुस्मारक के बावजूद मामले की अंतिमता तक किसी भी प्रयोक्ता ने अपने टिप्पणियां नहीं दी सिवाए रॉयल बाम्बे याच क्लब (आरबीवाईसी) के। आरबीवाईसी ने 30 जुलाई 2019 के अपने ई-मेल के द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजीं जिसे हमारे 7 अगस्त 2020 के ई-मेल द्वारा एमबीपीटी को फीड बैक सूचना के रूप में भेजा गया। 18 अगस्त 2020 और 7 अक्तूबर 2020 के अनुस्मारकों के पश्चात् एमबीपीटी ने 29 अक्तूबर, 2020 के पत्र संख्या एफए/एसीसी/200 (एफआर)/2317 के द्वारा उत्तर दिया।

5. कोविड-19 महामारी और वर्चुयल बैठकों के आयोजन के बारे में पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के 16 अप्रैल 2020 के पत्र संख्या 11053/30/2020-समन्वय को ध्यान में रखकर संदर्भाधीन मामले में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से 26 अगस्त, 2020 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में, एमबीपीटी ने अपने प्रस्ताव का

पावर प्वाईंट प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त सुनवाई के दौरान एमबीपीटी और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने निदेदन रखे।

6. प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा पर एमबीपीटी से कुछेक मुद्दों पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया था। 18 अगस्त, 2020 और 7 अक्तूबर 2020 के अनुस्मारकों के बावजूद एमबीपीटी ने मामले को अंतिम रूप से लिये जाने तक वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं की है। चूंकि प्रस्ताव एक प्रशुल्क मामले के रूप में प्राप्त हुआ है, इसे अनिश्चित काल तक लम्बित रखना वांछनीय नहीं है।

7. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

8. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर, निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आती है:-

(i). मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) ने गेटवे ऑफ इंडिया में प्लवमान रैस्टोरैंट के परिचालन के लिये लाइसेंस धारक को लाइसेंस जारी किया। इस संबंध में, प्लवमान रेस्टोरैंट में आने वाले ग्राहकों को चढ़ने और उतरने में सुरक्षित और निरापद व्यावस्था करने के लिए, एमबीपीटी ने लाइसेंस धारक को गेटवे ऑफ इंडिया की जेटी संख्या 5 में प्लवमान नौका परिचालन के लाइसेंस की अनुमति दी। लेकिन, व्यवस्था परिचालन में यह संकल्पना की गई है कि उक्त नौका का प्रयोग न केवल प्लवमान रैस्टोरैंट आने जाने वाले ग्राहकों के प्रयोग में लाई जायेगी बल्कि अन्य प्रयोक्ताओं के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है।

तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी प्रशुल्क नीति 2018 के खंड 8.1, 8.2 और 8.3 और प्रशुल्क नीति 2018 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों के खंड 6 के साथ पठित (कार्यकारी दिशानिर्देश 2018), के अनुसार, संबंधित महापत्तन न्यास प्रशुल्क विनियमों के दायरे के अंतर्गत आने वाली अधिकृत सेवाओं की पहचान करने के पश्चात्, उन मामलों में अनुज्ञप्ति व्यवस्था धारा 42(3) के अंतर्गत बीओटी रियायत करार से भिन्न होने पर परिचालकों द्वारा उगाही जाने वाली अधिकतम दरों का प्रस्ताव भेजेगा।

इस पृष्ठभूमि में, एमबीपीटी प्लवमान नौका के प्रयोग के दर निर्धारण का प्रस्ताव लेकर आया है। एमबीपीटी का किसी सेवा प्रदात्ता के संदर्भ के बिना इन दरों को अपने दरमानों में अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है। पत्तन के प्रस्ताव को एमबीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।

(ii). प्रशुल्क नीति 2018 का खंड 8.2 अनुबद्ध करता है कि यदि ऐसी किसी व्यवस्था में किसी विशिष्ट सेवा/सुविधा के लिए संबंधित महापत्तन में प्रशुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है तो पत्तन किसी अन्य महापत्तन न्यास में समान सेवा/सुविधा के लिए निर्धारित प्रशुल्क को अपना सकता है। यदि किसी भी महापत्तन न्यास में कोई प्रशुल्क निर्धारित नहीं है अथवा निर्धारित दर संकल्पित कार्यो/सेवा/सुविधा को प्रतिनिधित्व नहीं करती है, पत्तन न्यास 2008 के दिशानिर्देशों के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए इष्टतम क्षमता के आधार पर अथवा निर्धारित क्षमता के आधार पर [सेवा/सुविधा/उपस्कर की तकनीकी विशिष्टियों के संदर्भ में] प्रस्ताव दायर कर सकता है। प्रशुल्क नीति 2018 के खंड 7.6.1 के संदर्भ में कार्यकारी दिशानिर्देशों का खंड 5.7.1. भी लागत जमा 16% लाभ का सूत्र निर्धारित करता है।

(iii). इस प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य महापत्तन न्यास में प्लवमान नौका के लिए कोई प्रभार निर्धारित नहीं किये हैं। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में प्लवमान नौका सुविधाओं के प्रशुल्क निर्धारण संबंधी कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है। तदनुसार, एमबीपीटी ने अपना प्रस्ताव तैयार किया है ताकि वार्षिक आवर्ती प्रभारों की वसूली जमा पूंजीगत व्यय का परिशोधन किया जा सके, जैसा आगामी पैराओं में चर्चा की जा रही है।

(iv). **सुविधा का प्रयोग करने वाले प्रयोक्ताओं की प्रति वर्ष संख्या:**

रैस्टोरैंट प्रयोक्ताओं की दैनिक औसत संख्या 400 आकलित की गई है और 200 अन्य प्रयोक्ताओं की दैनिक औसत का आकलन किया गया है। इस प्रकार एक दिन में 600 ग्राहकों के आने का अनुमान लगाया गया है। प्रति माह 30 दिन का और प्रति वर्ष 7 माह के सीज़न को सुविचार में लेने पर, एमबीपीटी ने एक वर्ष में सुविधा का प्रयोग करने वाले प्रयोक्ताओं का अनुमान 1,26,000 लगाया है। यह लाइसेंस धारक द्वारा एमबीपीटी को दिये गए आकलन पर आधारित हैं और एमबीपीटी ने इसे अपने प्रस्ताव में सुविचार में लिया है। एमबीपीटी द्वारा बताये गए प्रयोक्ताओं की संख्या के आकलन पर विश्वास किया जाता है।

(v). एमबीपीटी ने प्रस्तावित दर निकालने के लिए सुविचारित प्रत्येक लागत घटक पर नीचे के पैराओं में चर्चा की जा रही है:

(क). **पूंजीगत लागत**

प्लवमान नौका के विकास और अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए आरंभिक पूंजीगत लागत 229.00 लाख रु. आकलित की गई है। इससे मूरिंग सैट अलमूनियम गैंगवे के साथ मैरीनटेक नौका की लागत (26 x 6मीटर प्लवमान डॉक के लिए) ढुलाई संस्थापन, गैंगवे जमाने और उपरिव्यय सहित ढुलाई, संस्थापन और उपरिव्यय सहित सुरक्षा केबिन, स्कैनिंग मशीन, मेटल डिटैक्टर, इलैक्ट्रिकल कनैक्शन, सुरक्षा लाइटें जेटी 5 में सुरक्षा और बचाव व्यवस्था, बचाव नौका सहित (जोडियक रिब), एसओएस पेडस्टल, वॉकी-टॉकी और जीवन रक्षक गियर सहित शामिल है। 229.00 लाख रु. के पूंजीगत निवेश पर भरोसा किया जाता है। इस बारे में आरबीवाईसी से परामर्श किया गया उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

(ख). **वार्षिक आवर्ती लागत**

(i). कुल वार्षिक आवर्ती व्यय का आकलन 51.00 लाख रु. प्रति वर्ष किया गया है। इसमें मानवशक्ति, जेटी पर्यवेक्षक, डॉक हैंडस, चिकित्सा परिचर, सुरक्षा कर्मचारी और लाइफ गार्ड सहित के 35.00 लाख रु. प्रति वर्ष; प्लवमान जेटी का वार्षिक जुटाव और विघटन (मानसून से पहले और बाद में), जेटी नं.5 में सुरक्षा और बचाव व्यवस्था आदि के 5.00 लाख रु.; बिजली उपभोग और मानसून भंडारण की प्रत्येक मद के 4.00 लाख रु. और 3.00 लाख रु. अन्य विविध व्ययों के शामिल हैं। आकलित व्ययों पर भरोसा किया जाता है। इस संबंध में आरबीवाईसी को कोई आपत्ति नहीं है।

(ii). 229 लाख रु. के आरंभिक निवेश को 15% प्रति वर्ष की दर से परिशोधित किया गया है जो 34.40 लाख रु. प्रति वर्ष बनता है।

(vi). विभिन्न लागत घटकों के आधार पर, जैसी पूर्ववर्ती पैराओं में चर्चा की गई है, एमबीपीटी द्वारा सुविधा की वार्षिक राजस्व अपेक्षा 85.40 लाख रु. प्रति वर्ष आकलित की गई है। यह सुविचार में लेते हुए कि प्लवमान नौका का प्रयोग करने वाले प्रयोक्ताओं की संख्या 1,26,000 प्रति वर्ष रहेगी, जैसा पहले बताया गया है, एमबीपीटी ने प्रति व्यक्ति एक बार आने के लिए 67.78 रु. की औसत लागत निकाली है जिसे एमबीपीटी द्वारा 68.00 रु. प्रति व्यक्ति के लिए पूर्णांकित कर दिया है। तदनुसार, प्लवमान नौका के लिए एक बार/एकल प्रयोग के लिए 68.00 रु. का प्रस्ताव किया गया है।

एमबीपीटी ने 1 अक्तूबर से 15 मई तक की अवधि के लिए (7.5 माह) प्लवमान नौका के प्रयोग के लिए पूरे सीजन पास के 9000/-रु. प्रति व्यक्ति की दर से और 1 अक्तूबर से 15 जनवरी (यानी 3.5 माह) तथा 16 जनवरी से 1 मई तक (यानी 3.5 माह) की अवधि के लिए 5000/-रु; प्रति व्यक्ति की दर से आधा सीजन पास की दर का प्रस्ताव भी किया है। पूरे सीजन पास और आधा सीजन पास की प्रस्तावित दरों पर आरवीवाईसी कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित दरों पर भरोसा किया जाता है।

यह बताया गया है कि किसी भी प्रयोक्ता ने एमबीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों पर कोई आपत्ति नहीं की है और यह भी कि पत्तन के प्रस्ताव को एमबीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है, यह प्राधिकरण पत्तन द्वारा यथाप्रस्तावित प्रभारों को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।

(vii). एमबीपीटी ने इस प्रभाव की टिप्पणी संख्या (i) का प्रस्ताव किया है कि नौका प्रयोग कॉमन उपयोग आधार पर होगी और आरबीवाईसी के सदस्यों निजी पांच स्वामियों को इस सुविधा अथवा नौका का उपयोग करने की अनुमति होगी। चूंकि प्रस्तावित टिप्पणी द्विअर्थकता से बचने के लिए स्पष्टता प्रदान करती है उक्त टिप्पणी का निर्धारण अनुमोदित है।

(viii). टिप्पणी संख्या (ii) और (iii) इस प्रभाव के लिए प्रस्तावित की गई हैं कि नौका के 24/7 आधार पर प्रयोग की अनुमति दी जाती है बशर्तें सुरक्षा कार्मिक और लाइफ गार्ड दिन-रात तैनात किये जाते हैं। और स्लोपिंग जेटी नं.5 से नौका में पहुंचने के लिए और नौका से उस पोत को जो यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए नौका के साथ लग जाता है नौका में गार्ड-रेल और गैंगवे प्रदान किये जायेंगे। नौका पर रक्षा-बोया सरलता से उपलब्ध कराये जाने के रखे जायेंगे और रात में नौका में भली भांति रौशनी होनी चाहिए ताकि यात्रियों को उतरने चढ़ने में कोई कठिनाई न हो। चूंकि, प्रस्तावित टिप्पणी प्लवमान नौका का प्रयोग करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और बचाव से संबंधित है, प्रस्तावित टिप्पणी का निर्धारण अनुमोदित किया जाता है।

चूंकि, प्रस्तावित टिप्पणी पूलवमान नौका का प्रयोग करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और बचाव से संबंधित है, प्रस्तावित टिप्पणी का निर्धारण अनुमोदित किया जाता है।

(ix). प्रस्तावित टिप्पणी संख्या (iv), (v), (vi), और (vii) सामान्यत: ऐसी शर्तें हैं जिनका लाइसेंसधारक द्वारा अनुपालन किया जाना एमबीपीटी से संबंधित है। ये टिप्पणियां पत्तन और लाइसेंसधारक के बीच लाइसेंस करार का भाग हो सकती हैं। उक्त टिप्पणियां प्लवमान नौका के प्रशुल्क की उगाही के संदर्भ में असंगत हैं। उक्त को देखते हुए टिप्पणी संख्या (iv), (v), (vi), और (vii) को एमबीपीटी के दरमानों में अंतर्विष्ट नहीं किया जा सकता।

(x). परामर्श प्रिक्रया के दौरान, आरबीवाईसी ने एक मुद्दा उठाया कि 'एक बार' प्रयोग के लिए निर्धारित 68/-रु. की दर पूरे दिन के लिए लागू होगी या नौका के प्रत्येक प्रयोग पर। इस संबंध में एमबीपीटी ने स्पष्ट किया कि उसी टिकट लागत पर उसी दिन में एक बार के लिए "वापसी" की अनुमति भी होगी। तदनुसार, एमबीपीटी के दरमान में इस प्रभाव की एक टिप्पणी निर्धारित की जाती है।

(xi). प्रशुल्क और प्रशुल्क को शासी करने वाली सोपाधिकताएं अनमोदित दरों के कार्यान्वयन की तारीख से प्रभावी होंगी।

9.1. परिणाम में और ऊपर बताये गए कारणों तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण निम्नलिखित नए भाग को एमबीपीटी के मौजूदा दरमान में भाग 9.8 – जेटी संख्या 5, गेटवे ऑफ इंडिया में प्लवमान नौका के प्रभार के रूप में अध्याय 9- विविध प्रभार के अंतर्गत अंतर्विष्ट करने का अनुमोदन करता है:-

**<u>"भाग – 9.8 – जेटी संख्या 5, गेटवे ऑफ इंडिया के प्रयोग के पूलावमान नौका प्रभार</u>**

(i). 68/-रु. प्रति व्यक्ति एक बार/एकल प्रयोग के लिए।

(ii). 9000/-रु. पूरे सीजन का पास (1 अक्तूबर से 15 मई तक )

(iii). 5000/- रु. आधे सीजन का पास (1 अक्तूबर से 15 जनवरी या 16 जनवरी से 1 मई )।

विस्तृत शर्तें और अनुबंधन

(i) ऊपर (i) में निर्धारित एक बार/एकल उपयोग के प्रभारों में उसी दिन की वापसी यात्रा शामिल है।

(ii). नौका प्रयोग कॉमन उपयोग आधार पर होगी और आरबीवाईसी के सदस्यों निजी याच स्वामियों को इस सुविधा अथवा नौका का उपयोग करने की अनुमति होगी।

(iii). नौका के 24/7 आधार पर प्रयोग की अनुमति दी जाती है बशर्ते सुरक्षा कार्मिक और लाइफ गार्ड दिन-रात तैनात किये जाते हैं।

(iv). स्लोपिंग जेटी नं.5 से नौका में पहुंचने के लिए और नौका से उस पोत को जो यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए नौका के साथ लग जाता है नौका में गार्ड-रेल और गैंगवे प्रदान किये जायेंगे। नौका पर रक्षा-बोया सरलता से उपलब्ध कराये जाने के रखे जायेंगे और रात में नौका में भली भांति रौशनी होनी चाहिए ताकि यात्रियों को उतरने चढ़ने में कोई कठिनाई न हो।''

9.2 एमबीपीटी को उक्त उपबंध को अपने दरमानों में उपयुक्त रूप से अंतर्विष्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

9.3. उक्त निर्धारण अनुमोदित दरों के कार्यान्वयन की तारीख से प्रभावी होंगे और एमबीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता के साथ सह-समाप्य होंगे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./461/2020-21]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th January 2021

**No. TAMP/22/2020-MBPT**.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for fixation of rate for usage of floating pontoon at Jetty 5, Gateway of India, as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports**

**Case No. TAMP/22/2020-MBPT**

The Mumbai Port Trust --- Applicant

**QUORUM**

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

**O R D E R**

(Passed on this 28th day of December, 2020)

This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) vide its letter No. FA/ACC/200(FR)/1352 dated 23 June 2020 for fixation of rate for usage of floating pontoon at Jetty 5, Gateway of India.

2. This Authority vide its Order No. TAMP/5/2019-MBPT dated 24 July 2019 has notified the General Scale of Rates of MBPT. The revised Scale of Rates along with Performance Standards approved by this Authority was notified vide Gazette No. 308 dated 03 September 2019.

3.1. In this backdrop, the MBPT vide its letter dated 23 June 2020 has come up with a proposal for fixation of rate for usage of floating pontoon at Jetty 5, Gateway of India. The main submissions made by MBPT in its proposal are summarised below:

(i). License has been awarded to Smt. Shripriya Dalmia Thirani for operation of Floating Restaurant at Gateway of India vide MBPT Letter No. TM/BDC/FR(04/2017-18)/ 247/ 2017-18 dated 27 June 2017. For safe and secure embarkation and disembarkation from Gateway of India, Jetty no.5, permission has been granted for placement of floating pontoon by Dy. Conservator. Important conditions are as given below:

(a). Pontoon usage will be on common user basis also for other users.

(b). Security and life guard are to be provided by Licensee.

(c). Pontoon to have safety and security features, as railings, lifebuoys, lighting/ illumination, etc.

(d). Licensee may recover a nominal charge from users.

(e). Licensee will share 17% from these nominal charge with MBPT.

(ii). The pontoon has been put up from 23.03.2019, and is being used for ferrying the guests to and fro floating restaurants. It is an important facility enhancing the safety and security and also comfort of boarding/ de boarding, etc.

(iii). Smt. Shripriya Dalmia Thirani vide letter dated 16.04.2019 informed that several requests from users of Jetty No. 5 are received to allow them to use pontoon. In this regard, the meeting was held on 28.03.2019. The operator informed that with a view to allow other users to make use of the pontoon facility for their passengers, it was requested to approve the rates at least on ad-hoc basis, till the finally approved rates are conveyed by MBPT, so that they are not put to loss and the other users can avail the improved safe and secure services of pontoon for access to their boats.

(iv). The operator was advised to submit a proposal with consent of probable users as is required for approval process by TAMP. Accordingly, Smt. Shripriya Dalmia Thirani vide letter dated 16.04.2019, has enclosed email from Royal Bombay Yacht Club and Vision Yacht Services both dated 17.04.2019 and of Kiran Resources Pvt. Ltd., M/s Marine Solutions, Shri Rajesh Aiya and M/s. Credence Logistics dated 10.04.2019, 13.04.2019, 02.04.2019 and 06.04.2019 respectively requesting to accord permission to use floating Jetty (Pontoon) for embarking and disembarking at Jetty no. 5, Gateway of India.

(v). Smt. Shripriya Dalmia Thirani vide letter dated 16.04.19 proposed the user rates as below;

(a). ₹.70/- for one time / single use

(b). ₹.9000/- for a full season pass (1st October to 1st May )

(c). ₹.5000/- for half season pass (1st October to 15th Jan or 16th Jan to 1st May).

(vi). A proposal was placed before the Board of Trustees of MBPT. The Board has accorded approval vide its TR No.102 dated 20.08.2019. A copy of the same is furnished by MBPT. The Board has approved the following:

(a). To fix the ad-hoc rates for the usage of pontoon on common user basis, as below:-

(i). ₹.68/- for one time / single use

(ii). ₹.9000/- for a full season pass (1stOctober to 15th May)

(iii). ₹.5000/- for half season pass (1stOctober to 15thJan or 16th Jan to 1st May)

(b). to submit proposal to TAMP for obtaining approval of rates at (a) above.

(vii). Financial implications for the port is the revenue share that MBPT will get from the charges received by the Licensee @17% of gross receipts on account of these charges. The minimum annual revenue expected by the Licensee is ₹.85.40 lakhs. The MBPT is entitled to 17% of this annually.

(viii) The calculation as made by MBPT for single usage of pontoon as one time rate of ₹.68/- and initial capital investment and annual recurring expenditure is given below:

(a). <u>Basis of calculation:</u>

The Operator has proposed rates based on their initial investment in setting up the floating pontoon dock and the recurring costs in operating and maintaining the same.

(b). Initial Capital Investment:

(₹. in Lakhs)

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Cost of Marinetek pontoon (for a 26 x 6m floating dock) with mooring set, aluminum gangway, including transportation, installation, gangway fixing and overheads | 188.00 |
| (b) | Cost of security cabin, scanning machines, metal detectors, electrical connections, security lights, including transportation, installation and overheads | 23.00 |
| (c). | Safety and rescue arrangements at Jetty 5 including rescue boat (Zodiac RIB) SOS pedestals, walkie-talkies and life-saving gear | 18.00 |
| (d) | Total (a) + (b) + (c) =(d) | 229.00 |

(c). Annual Recurring

(₹. in Lakhs)

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Manpower, including Jetty supervisor, dock hands, medical attendant, security staff and life guards | 35.00 |
| (b) | Electricity | 4.00 |
| (c). | Annual mobilization and demobilization of floating jetty (before and after monsoons)Safety and rescue arrangements at Jetty 5 including rescue boat (Zodiac RIB) SOS pedestals, walkie-talkies and life-saving gear | 5.00 |
| (d) | Monsoon storage | 4.00 |
| (e) | Miscellaneous | 3.00 |
| (f) | Total (a) + (b) + (c) + (d) +(e) =(f) | 51.00 |

(d). Expected Minimum Annual Revenue

(₹. in Lakhs)

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Towards recovery of annual recurring cost | 51.00 |
| (b) | Towards amortization of capital investment (15%) | 34.40 |
| (c) | Total expected minimum annual revenue | 85.40 |

(e). Number of Users

(Number)

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Average daily number of traditional users including RBYC members other boat owners, their guests and staff | 200 Nos. |
| (b) | Average daily number of restaurant users | 400 Nos |
| (c) | Total number of users for 1 month (600 users x 30 days) | 18000 Nos. |
| (c) | Total number of users for season ( 7 months) | 126000 |

(f). Calculation of Applicable Charge per User visit

Applicable charges = Expected minimum annual revenue / Total number of users for a season

= ₹.85,40,000/1,26,000 users= 68.

**i.e. ₹. 68.00 per for one time single use**

3.2. Accordingly, the MBPT vide its letter no. TM/BDC/FR(04/2017-18)/51/363/2018-19 dated 01.10.2019 has informed Mrs. Shripriya Dalmia Thirani that the ad-hoc rates for the usage of pontoon by other users on common user basis till the time TAMP Rates are approved.

3.3. In view of the above, the MBPT has requested this Authority to approve the following proposed charges for

Floating pontoon usage at Jetty No.5, Gateway of India and to incorporate in the existing approved Scale of Rates at Section 9.8 of SOR :

**"Section – 9.8 – Charges/rate for Floating pontoon usage at Jetty No.5, Gateway of India.**

(i) ₹.68/- for one time / single use

(ii). ₹.9000/- for a full season pass ( 1st October to 15th May )

(iii). ₹.5000/- for half season pass (1st October to 15th Jan or 16th Jan to 1st May)

**Detailed terms and conditions**

(i). The pontoon usage will be on common use basis and the members of RBYC, private yacht owners are to be permitted to utilize the facility or pontoon.

(ii). The permission to utilize pontoon on 24/7 basis is given provided security personnel and life guard are provided round the clock.

(iii). The pontoon shall be provided with guard-rail and gangway for safe access from sloping jetty No.5 to the pontoon and also from pontoon to vessel that comes alongside for embarkation and disembarkation of passengers. Lifebuoys to be kept easily available on the pontoon and pontoon to be well lit at night so that passenger do not face any difficulty in alighting or boarding.

(iv). All expenses towards installation, operation, maintenance and removal prior to monsoon and reinstallation post monsoon will be borne by the operator of the pontoon.

(v). The operator will share 17% of the revenue that has been earned by levying nominal fee from the users of pontoon on the similar lines of percentage share basis of the floating restaurant.

(vi). Pontoon to be maintained in seaworthy condition at all times.

(vii). The MbPT reserves the right to reject/ alter/ change/ withdraw/ discontinue the permission subject to safely and security or any other reason in full or in part or stipulate additional conditions if and when deemed necessary on the found of misuse, lack of compliance, act in bad faith and / or any grounds arising from time to time."

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the MBPT proposal was forwarded to the concerned users/ user organizations / prospective users (as suggested by MBPT) vide letter dated 23 July 2020 seeking their comments. Inspite of a reminder dated 18 August 2020, none of the users have given their comments except for Royal Bombay Yacht Club (RBYC), till the case was finalised. The RBYC vide its e-mail dated 30 July 2019 has furnished its comments which was forwarded to MBPT vide our e-mail dated 07 August 2020 as feedback information. After reminders dated 18 August 2020 and 7 October 2020, the MBPT vide its letter No. FA/ACC/200(FR)/2317 dated 29 October 2020 has responded.

5. In view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold virtual meetings, a joint hearing on the case in reference was held on 26 August 2020 through Video Conferencing. At the joint hearing, MBPT made a brief power point presentation of its proposal. The MBPT and the users/ user organizations have made their submissions during the joint hearing.

6. On a preliminary scrutiny of the proposal, additional information/ clarification was sought from MBPT on few points. Inspite of reminders dated 18 August 2020 and 7 October 2020**,** the MBPT has not furnished the requisite information till the case is taken up for finalisation, since the proposal is received as a "tariff Case", it is not desirable to keep it pending indefinitely.

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received from users / user organisations and arguments made by the concerned parties will be sent separately to them. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

8. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i). The Mumbai Port Trust (MBPT) has awarded License to a Licensee for operation of Floating Restaurant at Gateway of India. In this connection, inorder to ensure safe and secure embarkation and disembarkation of the patrons visiting the Floating Restaurant, the MBPT has granted permission to the Licensee for placement of floating pontoon at Jetty no. 5 of Gateway of India. However, the arrangement envisaged is that the said Pontoon will be used not only by the patrons visiting the Floating Restaurant, but will be used by other users also.

In accordance with clause 8.1, 8.2 and 8.2 of the Tariff Policy 2018 issued by the then Ministry of Shipping read with clause 6 of the working guidelines issued to operationalize the Tariff Policy 2018, (Working Guidelines 2018), the concerned Major Port Trust after identifying authorized services coming under the ambit of tariff regulation, shall forward a proposal for the ceiling rates to be levied by the operators, in the cases where authorization arrangement u/s 42(3) is other than by way of a BOT concession agreement.

In this backdrop, the MBPT has come up with a proposal for fixation of rate for usage of Floating Pontoon. The MBPT proposes to incorporate the rates in its Scale of Rates, without reference to any service provider. The proposal of the port has the approval of the Board of Trustees of MBPT.

(ii). Clause 8.2 of the Tariff Policy, 2018, stipulates that, in case there is no ceiling tariff prescribed in the concerned Major Port for a particular service/ facility under such arrangement, the port shall adopt the tariff prescribed for the similar service/ facility prescribed in any other Major Port Trust. If there is no tariff prescribed in any Major Port Trust or the rate prescribed is not representative for the cargo/ service/ facility envisaged, the Port Trust may file a proposal with reference to optimal capacity following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity. [with reference to the technical specification of the service/ facility/ equipment]. Clause 5.7.1 of the Working Guidelines also prescribes, in the context of clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018, cost plus 16% return formula

(iii). No charges have been fixed by this Authority for usage of floating pontoon at any other Major Port Trusts. There is no specific guidelines for determining the tariff for Floating Pontoon facilities in the 2008 Tariff Guidelines. Accordingly, the MBPT has formulated its proposal so as to recover the annual recurring charges plus amortization of capital expenditure, as discussed in the subsequent paragraphs.

(iv). **Number of Users expected to utilize the facility per annum:**

The average daily number of restaurant users has been estimated at 400 numbers and average of other users has been estimated at 200 per day, thereby aggregating to 600 users in a day. Considering 30 days per month and 7 months season period in a year, the MBPT has arrived at the annual number of users expected to utilize the facility at 1,26,000. It is based on the estimates given by the licensee to the MBPT and considered in the proposal by MBPT. The number of estimated users furnished by MBPT is relied upon.

(v). Each of the cost component considered by the MBPT to arrive at the proposed rate is discussed in the following paragraphs:

(a). **Capital cost:**

Initial capital cost for the development of the floating pontoon and other related facilities is estimated at ₹.229.00 lakhs. This is reported to be comprising of cost of Marinetek pontoon (26 x 6m floating dock) with mooring set, aluminum gangway, transportation, installation, gangway fixing, overheads, cost of security cabin, scanning machines, metal detectors, electrical connections, security lights, including transportation, installation, overheads, Safety and rescue arrangements at Jetty 5 including rescue boat (Zodiac RIB) SOS pedestals, walkie-talkies and life-saving gears. The capital investment to the tune of ₹.229.00 lakhs is relied upon. There is no objection from RBYC consulted in this regard.

(b). **Annual Recurring Cost**

(i). The total annual recurring expenses have been estimated at ₹.51.00 lakhs per annum. This comprises of an amount of ₹.35.00 lakhs per annum towards Manpower comprising of Jetty supervisor, dock hands, medical attendant, security staff and life guards, ₹.5.00 lakhs per annum towards expenses of mobilization and demobilization of floating jetty (before and after monsoons) and expenses towards Safety and rescue arrangements at Jetty no. 5 etc., ₹.4.00 lakhs per annum each towards expenditure on Electricity consumption and Monsoon Storage and an amount of ₹.3.00 lakhs towards other miscellaneous expenditure. The estimated expenses are relied upon. There is no objection from the RBYC in this regard.

(ii). The initial capital investment of ₹ 229 lakhs has been amortised by the Port @ 15% per annum, which works out to about ₹ 34.40 lakhs per annum.

(vi). Based on the various cost components as discussed in the preceding paragraphs, the annual revenue requirement for the facility has been estimated by the MBPT at ₹..85.40 lakhs per annum. Considering that number of users utilizing the floating pontoon at 1,26,000 per annum, as stated

earlier, the MBPT has worked out the average cost of ₹.67.78 /- per person for one visit, which has been rounded off by MBPT to ₹.68.00 per person. Accordingly, the charges for usage of floating pontoon has been proposed at ₹. 68 for one time/ single use.

The MBPT has also proposed charges towards Full Season pass for usage of Floating Pontoon for the period from 1st October to 15 May (i.e. 7.5 months) at ₹.9000/- per person and a charge of ₹.5000/- towards Half Season pass for the period from 1st October to 15 Jan (i.e.3.5 months) or from 16th Jan to 1st May (i.e. 3.5 months). There is no specific objection from the RBYC for the proposed rates for full season pass and half season pass. These proposed rates are relied upon.

Given that none of the users have objected to the rates proposed by the MBPT and also since the proposal of the Port has the approval of the Board of Trustees of MBPT, this Authority is inclined to approve the charges as proposed by the port.

(vii). The MBPT has proposed a note (i) to the effect that the pontoon usage will be on common use basis and the members of RBYC, private yacht owners are to be permitted to utilize the facility or pontoon. Since the proposed note gives clarity and avoids ambiguity, the prescription of the above note is approved.

(viii). The Notes (ii) and (iii) have been proposed to the effect that the permission to utilize pontoon on 24/7 basis is given provided security personnel and life guard are provided round the clock and the pontoon shall be provided with guard-rail and gangway for safe access from sloping jetty No.5 to the pontoon and also from pontoon to vessel that comes alongside for embarkation and disembarkation of passengers. Lifebuoys to be kept easily available on the pontoon and pontoon to be well lit at night so that passenger do not face any difficulty in alighting or boarding.

Since the proposed notes relate to safety and security aspects of the passengers who use the floating pontoon, the prescription of the proposed notes is approved.

(ix). The proposed Notes (iv), (v), (vi), and (vii) are generally seen to be conditions to be complied with licensee in relation to the MBPT. These notes can form part of the License Agreement between Port and Licensee. The said notes are not relevant in connection with the levy of tariff regarding Floating Pontoon. In view of the above, the Notes (iv), (v), (vi), and (vii) are not incorporated in the SOR of MBPT.

(x). During the consultation process, RBYC had raised a point as to whether the rate of ₹.68/- prescribed for ''one time'' use would be applicable for the entire day or for each usage of the pontoon. In this regard, the MBPT has clarified "Return" use shall also be permitted in the same ticket cost, once in the same day. Accordingly, a note to this effect is prescribed in the SOR of MBPT.

(xi). The tariff and the conditionalities governing the application of tariff shall into force from the date of implementation of the approved rates.

9.1. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, this Authority approves incorporation of the following new section as Section 9.8 – Charges for Floating Pontoon usage at Jetty No.5, Gateway of India, under Chapter – IX – Miscellaneous Charges, in the existing Scale of Rates (SOR) of MBPT:

"

**<u>Section – 9.8</u> – <u>Charges for Floating pontoon usage at Jetty No.5, Gateway of India.</u>**

(i) ₹.68/- per person for one time / single use

(ii). ₹.9000/- per person for a full season pass ( 1st October to 15th May )

(iii). ₹.5000/- per person for half season pass (1stOctober to 15thJan or 16th Jan to 1st May)

**<u>Detailed terms and conditions</u>**

(i). The charges for one time / single use prescribed at (i) above includes return usage on the same day.

(ii). The pontoon usage will be on common use basis and the members of RBYC, private yacht owners are to be permitted to utilize the facility or pontoon.

(iii). The permission to utilize pontoon on 24/7 basis is given provided security personnel and life guard are provided round the clock.

(iv). The pontoon shall be provided with guard-rail and gangway for safe access from sloping jetty No.5 to the pontoon and also from pontoon to vessel that comes alongside for embarkation and disembarkation of passengers. Lifebuoys to be kept easily available on the pontoon and pontoon to be well lit at night so that passenger do not face any difficulty in alighting or boarding.

"

9.2 The MBPT is directed to suitably incorporate the above provisions in its Scale of Rates.

9.3. The above prescription shall come into effect from the date of implementation of the approved rates and shall remain valid co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[Advt.-III/Exy./461/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.16 13:23:09 +05'30'